

(b) Distance method-covering all States	5
3. Performance of which:	7.5
(a) Tax effort	2.5
(b) Fiscal Management	2.0
(c) National Objectives	3.0
(1) Population control	1.0
(2) Elimination of Female illiteracy	1.0
(3) On-time completion of externally aided projects	0.5
(4) Success in land reforms	0.5
4. Special Problems	7.5

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4111. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य तथा स्वरूप क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में सीमा कार्यक्रमों को जिन विशिष्ट स्थानों में कार्यान्वित किया जाना है, उनका गुजरात समेत राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के समीप स्थित दूरवर्ती, अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह कार्यक्रम उन राज्यों तक विस्तारित है जिनकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा लगती है अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, माणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। बहरहाल, गुजरात सहित इन राज्यों में सीमा क्षेत्रों में विकास के लिए ध्यान केंद्रित करने हेतु इस कार्यक्रम के तहत स्कीमों को केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगने वाले ब्लॉकों में शुरू किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य में शुरू की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं के विषय में निर्णय राज्य स्तरीय छानबीन समितियों द्वारा किये जाते हैं। उत्तर-पश्चिमी राज्यों अर्थात् राजस्थान और गुजरात में शुरू की गई स्कीमों में संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, सुरक्षा आदि से सम्बद्ध हैं। केन्द्रीय बजट 1998-99 में किए गए प्रावधान के आधार पर चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 में उत्तर-पश्चिमी राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गये आबंटन इस प्रकार हैं:-

राज्य	(रु करोड़) आबंटन
राजस्थान	26.52
गुजरात	8.88

योजना आयोग के पास संगृहीत राशि

4112. श्री अखिलेश दास: क्या प्रधान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना आयोग के पास संगृहीत राशि कितनी थी;

(ख) क्या योजना आयोग को नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उन संसाधनों के बारे में, जो कि उसके पास उपलब्ध हैं और जिनकी कमी पड़ जाने की संभावना है, कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारत्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) योजना के लिए परिकल्पित समस्त वित्तीय संसाधन विभिन्न क्षेत्रों और योजना में शामिल कार्यक्रमों के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। योजना कार्यक्रमों के लिए बजट-आबंटन, उपलब्ध संसाधनों और क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के आधार पर, संबंधित वर्षों के बजटों में प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए किए जाते हैं। किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि बाद में व्ययगत हो जाती है और इसलिए वित्तीय संसाधनों के संगृहीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में, नौवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों